

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2019—ज्येष्ठ 28, शक 1941

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक-एफ-06-01-2019-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 36-क के साथ पठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 647-क का लोप किया जाए,
2. नियम 647-ख में उप-नियम (3) में,—

(1) खण्ड (क) तथा (ख)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(क) बंदी द्वारा उपार्जित मजदूरी का 50% भुगतान उप-नियम (4) के अनुसार किया जाएगा;

(ख) बंदियों को देय मजदूरी का शेष 50% पीड़ित प्रतिकर योजना में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जमा किया जाएगा;”.

(2) खण्ड (ग) तथा (घ) का लोप किया जाए.

No. F-06-01-2019-3-Jail.—In exercise of the powers conferred by Section 59 read with Section 36-A of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Rule 647-A shall be omitted.
2. In rule 647-B, in sub-rule (3),—
 - (1) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—
 - “(a) 50% of the wages earned by a prisoner shall be paid in accordance with sub-rule (4);
 - (b) Remaining 50 % of the wages payable to prisoners shall be deposited in Victim Compensation Scheme as per guidelines issued by the State Government from time to time ;”.
 - (2) Clause (c) and (d) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव चन्द्र दुबे, सचिव.